राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.06.2012 की निरन्तरता में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगें:–

तालिका

स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय	गैर आवासीय
जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण क्षेत्र	10,000 व.मी.	4,000 व.मी.
अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा	5,000 व.मी.	2500 व.मी.

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल, राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

RajKaj Ref
8349936
Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation :Deputy
Secretary To Government
Date :25-06-2024 06:01:34

शासन उप सचिव–प्रथम